मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10/04/2022

क्रमांक 827/3856/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1261/2686/2021/ 38-1, दिनांक 06.08.2021 के सरल क्रमांक 73 पर अंकित डॉ. रविन्द्र बर्डे, सहायक प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शहीद भीमा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर शासकीय महाविद्यालय, खेरलांजी किया गया।

2/ उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ. बर्डे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 16686/2021 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 में याचिका को dispose of किया है। डॉ. बर्डे द्वारा उक्त निर्णय के अनुक्रम में प्रशासकीय विभाग को प्रेषित अभ्यावेदन में स्थानांतरण आदेश निरस्त कर यथावत पदस्थ करने का अनुरोध किया है। माननीय न्यायालय का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

In view of the above, in the given facts of the case, this petition is disposed of with a direction to the petitioner to make a detailed representation alongwith all requisite documents before the respondent No.1, who shall decide the same within a period of 10 days from the date of submission of the same by passing a speaking order.

3/ माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में डॉ. बर्डे द्वारा विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। डॉ. बर्डे द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुक्रम में विभागीय अभिमत निम्नानुसार है:-

क्र.	स्थानांतरण निरस्त किये जाने के आधार	विभागीय अभिमत
I	मेरे बच्चे 12वीं एवं 7वीं कक्षा में सी.बी.एस.ई. स्कूल बडवानी में अध्ययनरत् है एवं खैरलांजी, जिला बालाघाट में कोई भी सी.बी.एस.ई. विद्यालय नहीं होने के कारण उनकी पढाई पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।	स्थानांतरित महाविद्यालय, खैरलांजी में सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त निजी/शासकीय विद्यालय संचालित है।
Ii	शासकीय पीजी महाविद्यालय, बडवानी में भौतिकशास्त्र विषय के केवल 04 पद है, जिसमें 646 से अधिक जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राए अध्ययनरत् है, स्थानांतरण के कारण उनकी पढाई पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।	डॉ. बर्डे के अतिरिक्त 02 सहायक प्राध्यापक, भौतिक विषय में कार्यरत हैं। डॉ. बर्डे के कार्यमुक्त होने के उपरांत रिक्त पद की पूर्ति अतिथि विद्वान द्वारा की जाएगी।

iii	मैं स्वयं High blood sugar, Dianbeties बीमारी से एवं वर्तमान में टाईफाईड फीवर से पीडित हूँ।	जिला बालाघाट में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
iv	मेरे परिवार में मेरे बुजुर्ग माता-पिता(62-65) एवं मेरी पत्नि श्रीमती संगीता बर्डे Cesarean, estractomy, piles बीमारी से पीडित है, जिन्हे चिकित्सकीय रूटीन चैकअप की आवश्यक्ता होती है।	---तदैव--

4/ डॉ. रविन्द्र बर्डे, सहायक प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र के पद पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी में विगत 16 वर्षों से कार्यरत है। डॉ. बर्डे का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

5/ डॉ. बर्डे, प्रथम श्रेणी संवर्ग के अधिकारी है। स्थानांतरण नीति 2020-21 की कंडिका 50 के अनुक्रम में डॉ. बर्डे द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. रविन्द्र बर्डे, सहायक प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शहीद भीमा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्र. 828 /3856/2021/38/1 भोपाल, दिनांक 10/05/2022

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,
3. प्राचार्य, शहीद भीमा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी,
4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, खेरलांजी,
5. संबंधित डॉ. रविन्द्र बर्डे, सहायक प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शहीद भीमा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी,
6. गार्ड फाईल,

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग